उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 8 अंक 15 1–15 अगस्त 2025 ₹ 20/–

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आर.एस.एस. की प्रशंसा पर विवाद

- स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महाराष्ट्र में मांस पर पाबंदी
- पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान
- अरब देशों द्वारा ग्रेटर इजरायल योजना की आलोचना
- मुसलमानों को एक मंच पर लाने का प्रयास

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आरएसएस की प्रशंसा पर विवाद 04
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महाराष्ट्र में मांस पर पाबंदी 09
एनसीईआरटी की किताब में भारत विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार 11
मुसलमानों को एक मंच पर लाने का प्रयास 13
उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को उच्च न्यायालय में चुनौती 17

विश्व

पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान 20
दक्षिण कोरिया में इस्लामी आतंकवादी गिरफ्तार 21
आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति समझौता 23
अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का प्रयास 24
फिलिस्तीन के समर्थन में विदेशों में प्रदर्शन 26

पश्चिम एशिया

अरब देशों द्वारा ग्रेटर इजरायल योजना की आलोचना 27
सीरिया में गृहयुद्ध की ज्वाला फिर भड़की 29
हिजबुल्लाह का निःशस्त्रीकरण से इंकार 30
जर्मनी द्वारा इजरायल को हथियारों की सप्लाई बंद 33
ईरान द्वारा अमेरिका को धमकी 33

सारांश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की सेवा भावना की प्रशंसा की थी। इस पर विपक्षी नेताओं और उर्दू प्रेस ने ऐतराज जताया है। उन्होंने मोदी के इस बयान के खिलाफ सुनियोजित अभियान छेड़ दिया है। विपक्षी नेताओं और उर्दू प्रेस ने संघ परिवार पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। उनके द्वारा यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि संघ की देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं रही है और उसने भारतीय संविधान व राष्ट्रीय ध्वज को भी कभी मान्यता नहीं दी है। हालांकि, संघ को जानने वालों का कहना है कि यह दुष्प्रचार बिल्कुल गलत और भ्रामक है।

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने का जो ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाया था उसका मुसलमानों के एक वर्ग ने विरोध करना शुरू कर दिया है। जमीयत उलेमा ने इस कानून को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा है कि यह कानून देश के संविधान के खिलाफ है और इससे भारतीय संविधान में मुसलमानों को दिए गए विशेष अधिकारों का हनन होता है। उनका दावा है कि यह कानून इस्लाम और शरिया के खिलाफ है। मदनी ने कहा कि शरिया की रचना किसी व्यक्ति या सरकार ने नहीं, बल्कि खुदा ने की है और यह कुरान व हदीस पर आधारित है। शरिया कानून में किसी भी अदालत या सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

उत्तराखंड सरकार ने मौजूदा धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन करने का फैसला किया है। संशोधित विधेयक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति विवाह के इरादे से अपना धर्म छिपाता है तो उसके लिए अधिकतम 10 साल की जेल और तीन लाख रुपये जुर्माने की व्यवस्था की गई है। जबकि सामान्य धर्मांतरण के मामलों में 10 साल तक की जेल और 50 हजार रुपये जुर्माने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति महिलाओं, बच्चों, आदिवासियों, दलितों और विकलांगों का धर्मांतरण करवाता है तो उसे पांच से 14 साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

पाकिस्तान सरकार ने बलूच लड़ाकों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान के तहत अनेक क्षेत्रों में रेल सेवा और सड़क यातायात को बंद कर दिया गया है। वहीं, कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू तक लगा दिया गया है। इसके साथ ही इंटरनेट व मोबाइल सेवा भी बंद कर दी गई है ताकि सेना द्वारा आम नागरिकों के नरसंहार की खबरों को दबाया जा सके। अजीब बात है कि पाकिस्तान सरकार के दबाव पर अमेरिका ने बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्षशील संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और उसके सहयोगी संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है ताकि विदेशों में उनके प्रचार पर रोक लगाई जा सके।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि ग्रेटर इजरायल का निर्माण उनके जीवन का मिशन है और वे इसे हर कीमत पर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा है कि ग्रेटर इजरायल में एक दर्जन देश शामिल होंगे, जो कभी यहूदी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे और बाद में उन पर अरबों ने जबरन कब्जा कर लिया था। नेतन्याहू की इस घोषणा पर मुस्लिम देशों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। मुस्लिम देशों ने संयुक्त राष्ट्र और विश्व के देशों से अनुरोध किया है कि वे इजरायल की विस्तारवादी नीति पर लगाम लगाने के लिए फौरन कार्रवाई करें, क्योंकि इजरायल का इरादा इस पूरे क्षेत्र को हड़पना और वहां पर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना है।

■

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आरएसएस की प्रशंसा पर विवाद

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा भावना की प्रशंसा की थी। इस पर विपक्षी दलों और उर्दू प्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है।

इंकलाब (17 अगस्त) के अनुसार कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आरएसएस की प्रशंसा करने की आलोचना की है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बताया था। उन्होंने कहा था कि देश की सेवा में संघ की अग्रणी भूमिका है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी के इस बयान को संविधान, सेक्युलरिज्म और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने 75 साल के हो जाएंगे। इसे देखते हुए वे अपने कार्यकाल में विस्तार हेतु आरएसएस को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया है। इस पोस्ट के अनुसार 4 फरवरी 1948 को सरदार वल्लभभाई पटेल के अधीन गृह मंत्रालय ने सार्वजनिक शांति के लिए खतरा बताते हुए आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। रमेश ने इस पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि यह सब इतिहास का हिस्सा है, जिसे मिटाया या फिर से लिखा नहीं जा सकता।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि आरएसएस ने कभी भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वह देश की स्वतंत्रता के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आरएसएस की प्रशंसा करना देश के स्वतंत्रता संग्राम का अपमान है।

रोजनामा सहारा (17 अगस्त) के अनुसार केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आरएसएस का महिमामंडन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी की हत्या की साजिश रचने वाले सावरकर को देश की स्वतंत्रता का ध्वजवाहक करार देना ऐतिहासिक तथ्यों को कूड़ेदान में डालने जैसा है। यह देश के शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम का अपमान है।

एतेमाद (17 अगस्त) में मासूम मुरादाबादी का एक लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेख में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद होने वालों का अपमान बताया गया है। मुरादाबादी ने अपने लेख में आरोप लगाया है कि मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक ऐसे संगठन का गुनगान किया है, जो देश की स्वतंत्रता के खिलाफ रहा। आरएसएस अपने शुरुआती दौर से ही देश में सांप्रदायिक जहर फैलाता रहा है और उसने मुसलमानों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ रखा है। उसका लक्ष्य देश में हिंदू राष्ट्र कायम करना है और वह अपने इस एजेंडे को पूरा करने के लिए अलोकतांत्रिक व असंवैधानिक हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। अपनी 100 वर्षों की यात्रा में आरएसएस देश के अल्पसंख्यकों और खास तौर पर मुसलमानों को बुराई का प्रतीक करार देता रहा है। मुसलमानों के खिलाफ उसका निरंतर दुष्प्रचार जारी है।

लेख में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठियों की आड़ में हर मुसलमान को निशाना बनाने की कोशिश की है। बांग्लाभाषी मुसलमानों को बांग्लादेशी घुसपैठिया करार देकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, इसलिए संघ ने उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है। मोदी के सत्ता में आने के बाद आरएसएस जन जीवन के हर क्षेत्र में और हर सरकारी कार्यालय में पूरी तरह से घुसपैठ कर चुका है। पाठ्यपुस्तकों से देश के असली इतिहास को हटाकर नई पीढ़ी पर आरएसएस की विचारधारा को जबरन लादा जा रहा है। मुसलमानों के शासनकाल के इतिहास और विरासत को मटियामेट किया जा रहा है।

औरंगाबाद टाइम्स (17 अगस्त) ने दावा किया है कि सेवानिवृत्ति से बचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की प्रशंसा की है। समाचारपत्र ने लिखा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी कमजोर हो चुके हैं और अब वे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत पर पूरी तरह से निर्भर हैं। मोदी को डर है कि अगले महीने 75 साल की उम्र सीमा पार करने के बाद आरएसएस उन्हें गद्दी से वंचित कर सकता है, इसलिए उन्होंने उसे मक्खन लगाना शुरू कर दिया है।

रोजनामा सहारा (16 अगस्त) ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया है, "लाल किले से वैचारिक जंग।" संपादकीय में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 103 मिनट का लंबा भाषण देकर अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोदी ने अपने संबोधन में आरएसएस की खुलकर प्रशंसा की है। उनकी इस प्रशंसा से देश में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मोदी ने आरएसएस की 100 साल की यात्रा का उल्लेख करते हुए उसे विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ करार दिया और उसके स्वयंसेवकों द्वारा राष्ट्र निर्माण में निभाई गई भूमिका की सराहना की।

समाचारपत्र ने कहा है कि यह वही आरएसएस है, जिसे महात्मा गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था। इतिहासकारों ने आरएसएस पर सांप्रदायिक दंगों को भड़काने और धार्मिक आधार पर समाज को विभाजित करने के आरोप लगाए हैं। विपक्ष ने

कांग्रेस की एक अन्य प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सावरकर को गांधी से बड़ा दिखाने को शहीदों पर हमला करार दिया है। समाचारपत्र ने कहा है कि यह विवाद सिर्फ तस्वीरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैचारिक लड़ाई है। सावरकर को हिंदुत्व का ध्वजवाहक और गांधी को अहिंसा का संदेशवाहक माना जाता है। मोदी सरकार पर आरोप है कि वह हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के इतिहास को नए सांचे में ढालने और गांधी, नेहरू व पटेल जैसे राष्ट्रीय नेताओं की विरासत को कमजोर करने का प्रयास करती है। जब प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की प्रशंसा की जाती है और सरकारी पोस्टर में सावरकर को गांधी से ऊपर स्थान दिया जाता है तो इसका स्पष्ट संदेश है कि इतिहास को नई राजनैतिक प्राथमिकताओं के अनुसार तराशा जा रहा है।

मोदी द्वारा आरएसएस की प्रशंसा को स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा के खिलाफ बताया है। सीपीआईएम के महासचिव मरियम अलेक्जेंडर बेबी ने इसे बेहद अफसोसनाक और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बताया है। समाचारपत्र का दावा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी पोस्टर ने इस विवाद को और भड़का दिया है। इस पोस्टर में विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर को महात्मा गांधी की तस्वीर से बड़ा दिखाया गया है। पोस्टर में सबसे ऊपर सावरकर, उसके बाद गांधी और उसके नीचे सुभाष चंद्र बोस व भगत सिंह की तस्वीर दिखाई देती है। कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक मजाक करार देते हुए नेहरू, पटेल और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया है।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट करते-करते अब आप स्वतंत्रता सेनानियों में भी मिलावट करने लग गए। जो इतिहास में बड़े नहीं बन सके उन्हें पोस्टर में बड़ा बना रहे हो। देश आपसे सस्ता तेल मांग रहा है, सस्ती कॉमेडी नहीं।" कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री देशद्रोहियों को हीरो के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।

अखबार-ए-मशरिक (17 अगस्त) ने अपने संपादकीय में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह राजनैतिक और वैचारिक लड़ाई की शुरुआत है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री ने पहली बार आरएसएस की खुलेआम प्रशंसा की है और उसे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ करार दिया है, जिसका इतिहास राष्ट्र सेवा से ओत-प्रोत है। समाचापत्र ने कहा है कि वर्षों से भाजपा की राजनीति पर संघ की छाप रही है, लेकिन इससे पहले कभी भी मोदी ने अपने भाषण में संघ का उल्लेख नहीं किया था। अब आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। लाल किले से मोदी की संघ के प्रति यह सलामी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब मोदी सरकार और संघ में कोई अंतर नहीं रहा है।

उर्दू टाइम्स (19 अगस्त) ने अपने संपादकीय में प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कहा है कि अब जब संविधान की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है तो यह सवाल लाजिमी है कि क्या हमने संविधान को बचाया है या उसकी धज्जियां उड़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है? जबसे वर्तमान सरकार केंद्र में सत्तारूढ़ हुई है तब से संवैधानिक संस्थाओं को सुनियोजित तरीके से कमजोर किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, संसद, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसे संस्थानों को लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है, लेकिन अब उनकी निष्पक्षता और स्वायत्तता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये संस्थान एक विशेष गिरोह के कब्जे में हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों ने यह स्वीकार किया है कि न्यायपालिका पर दबाव डाला जा रहा है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता संदिग्ध हो गई है और वह सत्तारूढ़ दल की कठपुतली बन गया है। जांच एजेंसियों को राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जिस संविधान को मोदी ने मार्गदर्शक करार दिया था उसके आधार पर स्थापित संस्थान अब अंधेरे में डूबे जा रहे हैं।

सियासत (19 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार के बारे में यह कहा जाता है कि वह अपने सैद्धांतिक स्रोत आरएसएस के साथ घनिष्ठ संबंध रखती है और संघ के इशारे पर पूरा प्रशासन चलाया जा रहा है। हाल ही में यह भी चर्चा शुरू हुई कि केंद्र सरकार और संघ के संबंधों में कुछ तनाव आ गया है, क्योंकि सरकार संघ के कुछ निर्देशों को मानने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन अब तक खटाई में पड़ा हुआ है। संघ के विरोध के कारण पार्टी अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करने में सफल नहीं हो रही है। यह सच्चाई है कि सरकार संघ के प्रभाव से मुक्त होने की कल्पना भी नहीं कर सकती है। यही कारण है कि अब सरकार ने संघ की छत्रछाया में जाना ही अपने लिए जरूरी समझा है। सरकार और सत्तारूढ़ दल को संघ के महत्व और उसकी सहायता की जरूरत महसूस होने लगी है। विशेष रूप से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को संघ के समर्थन की जरूरत है।

इसके अतिरिक्त इन दिनों सरकार को विभिन्न संकटों का भी सामना करना पड़ रहा है। वोटों की चोरी और चुनाव में धोखाधड़ी के आरोपों के कारण चुनाव आयोग के साथ-साथ भाजपा भी चिंतित नजर आ रही है। इन आरोपों पर भाजपा चुनाव आयोग से भी ज्यादा प्रतिक्रिया दे रही है और चुनाव आयोग की रक्षा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में आरएसएस का उल्लेख किया है। मोदी ने संघ को एक एनजीओ करार दिया है। हालांकि, सच्चाई यह है कि संघ एक पंजीकृत संस्था नहीं है, जिसे एनजीओ करार दिया

जा सके। इसके साथ ही भाजपा ने देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी संघ को खुश करने की कोशिश की है। पार्टी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। राधाकृष्णन का संबंध आरएसएस से है और वे संघ के प्रचारक भी रह चुके हैं। भाजपा ने संघ को संतुष्ट करने और तमिलनाडु व दक्षिण भारत में अपने प्रभाव का विस्तार करने हेतु राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे साफ है कि भाजपा के लिए हर कदम पर संघ का समर्थन प्राप्त करना जरूरी हो गया है।

अवधनामा (19 अगस्त) का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से संघ की तारीफ में जो कसीदे पढ़े हैं उसे सुनकर पूरा देश हैरान है। समाचारपत्र ने कहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आरएसएस और हिंदू महासभा ने ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बनाने का प्रयास किया। इसी भावना के तहत सावरकर ने हिंदुत्व की विचारधारा को पेश करके भारतीय समाज को विभाजित करने का प्रयास किया। उन्होंने मुसलमानों, ईसाइयों और वामपंथियों की राष्ट्रभक्ति को संदिग्ध बनाने के लिए 'फादरलैंड' और 'मदरलैंड' का शोशा छोड़ा। उन्होंने दावा किया था कि इन तीनों का उद्‌गम स्थल भारतीय भूमि नहीं है, इसलिए वे इस देश के वफादार नहीं हो सकते। संघी आज भी मजबूती से इसी जहरीली विचारधारा पर चल रहे हैं।

समाचारपत्र ने दावा किया है कि जब कांग्रेस ने 1942 में 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' का नारा दिया था तो जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर को पत्र लिख कर यह मशवरा दिया था कि इस आंदोलन को सख्ती से कुचल दिया जाए। जब कांग्रेस ने ब्रिटिश फौज में भारतीयों की भर्ती का विरोध किया तो संघियों ने अपने कैंप लगाकर भारतीयों को ब्रिटिश फौज में भर्ती करवाया। संघ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विरोध करने में सबसे आगे था। समाचारपत्र ने लिखा है कि स्वतंत्रता संग्राम का विरोध और गांधी की हत्या में शामिल होने के कारण संघ परिवार पर स्थाई प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के कारण कुछ शर्तों के साथ संघ पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। यह अलग बात है कि संघ ने कभी भी उन शर्तों का पालन नहीं किया। दूसरी बार, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान संघ पर प्रतिबंध लगाया तो संघ ने माफी मांग ली। तीसरी बार, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने संघ पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि, बाद में इस प्रतिबंध को भी हटा लिया गया।

समाचारपत्र का कहना है कि आरएसएस का रुख हमेशा से नकारात्मक रहा है। उसने संविधान का विरोध किया, क्योंकि वह देश का संविधान मनुस्मृति को बनाना चाहता था। मनुस्मृति जात-पात के आधार पर समाज को विभाजित करती है और ब्राह्मणों को हिंदू समाज पर वर्चस्व प्रदान करती है। समाचारपत्र ने कहा है कि जब तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया तो भी संघ ने उसका विरोध किया और उसे मानने से इंकार कर दिया। उसने दावा किया कि उसका ध्वज भगवा ध्वज है। आरएसएस ने अपनी स्थापना

से लेकर आज तक देश की सांप्रदायिक एकता को तार-तार करने की कोशिश की है। यही कारण है कि संघ 100 सालों के प्रयास के बावजूद 80 प्रतिशत से भी अधिक हिंदू जनसंख्या वाले इस देश में सिर्फ 30-35 प्रतिशत लोगों को ही अपना समर्थक बना पाया है। अजीब बात है कि फिर भी प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से आरएसएस को महिमामंडित कर रहे हैं।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महाराष्ट्र में मांस पर पाबंदी

रोजनामा सहारा (14 अगस्त) के अनुसार महाराष्ट्र के नागपुर, कल्याण-डोंबिवली, छत्रपति संभाजीनगर और मालेगांव नगर निगमों द्वारा स्वतंत्रता दिवस व कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मांस की दुकानों व बूचड़खानों को बंद रखने के आदेश के कारण राज्य में हंगामा मच गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व उपमुख्यमंत्री अजित पवार और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नगर निगम के फैसले का विरोध किया है। गौरतलब है कि नागपुर नगर निगम ने घोषणा की है कि स्वतंत्रता दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर नागपुर में सभी बूचड़खाने और मांस की दुकानें बंद रखी जाएंगी। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का प्रतिबंध लगाना सरासर गलत है। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में सब्जी खाने वाले भी रहते हैं और मांस खाने वाले भी, इसलिए उन पर किसी भी तरह का जबरन प्रतिबंध लगाना अनुचित है। जबकि ओवैसी ने कहा है कि यह आदेश असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि मांस खाने और स्वतंत्रता दिवस मनाने के बीच क्या संबंध है? ऐसा ही एक आदेश नासिक नगर निगम ने भी जारी किया है।

हिंदुस्तान (14 अगस्त) के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा में हुए हंगामे के बाद मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने स्पष्टीकरण दिया है कि राज्य सरकार ने इस तरह का कोई फैसला नहीं किया है। यह संबंधित नगर निगमों का अपना फैसला है और वे इसके लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक कृष्ण जन्माष्टमी या कुछ अन्य मौकों पर बूचड़खानों व मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने का सवाल है तो यह फैसला 1988 में शरद पवार के शासनकाल में किया गया था। तब से जैनियों के पर्यूषण पर्व पर राज्य में बूचड़खाने और मांस की दुकानें बंद रखने की परंपरा चली आ रही है। इस संबंध में एक सरकारी आदेश भी जारी किया गया था।

रोजनामा सहारा (17 अगस्त) के अनुसार भाजपा के विधायक संजय केनेकर ने पुलिस कमिश्नर को एक शिकायत भेजी है। इस शिकायत में मांग की गई है कि पूर्व सांसद इम्तियाज जलील पर मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी के अवसर पर जलील ने मांस पार्टी आयोजित की थी। इससे मेरी धार्मिक भावना आहत हुई है।

हिंदुस्तान (14 अगस्त) ने अपने संपादकीय में महाराष्ट्र के विभिन्न नगर निगमों के फैसलों की निंदा की है। समाचारपत्र ने कहा है कि यह स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। समाचारपत्र ने कहा है कि राज्य के नागपुर, कल्याण-डोंबिवली, छत्रपति संभाजीनगर, मालेगांव और नासिक नगर निगम ने स्वतंत्रता दिवस व कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मांस पर प्रतिबंध लगाकर विवाद खड़ा कर दिया है। यह फैसला तब किया गया है जब राज्य में बड़े जानवरों के मांस का कारोबार करने वाला कुरैशी समुदाय एक महीने से हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल के कारण राज्य की जनता और पशु व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अगर पूरे देश में कुछ चुने हुए धार्मिक त्योहारों पर इस तरह का प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसे माना जा सकता है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस तरह का प्रतिबंध लगाना बिल्कुल गलत है।

समाचारपत्र ने कहा है कि वर्तमान सरकार जबसे सत्ता में आई है तब से बूचड़खानों, मांस व्यापारियों और मांस की दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। गोरक्षा की आड़ में सैकड़ों मुसलमानों को हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है और भीड़ ने कई दर्जन लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी है। भारत के संविधान में हर व्यक्ति को यह आजादी मिली हुई है कि वह अपने पसंद का भोजन करे। हालांकि, इसके बावजूद भाजपा की सरकार किसी न किसी बहाने नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन कर रही है। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने तो साफ कहा है कि विभिन्न नगरों में मांस पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसका वे उल्लंघन करेंगे और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मांस खाएंगे।

उर्दू टाइम्स (16 अगस्त) ने अपने संपादकीय में महाराष्ट्र के कई इलाकों में मांस की

दुकानों और बूचड़खानों पर प्रतिबंध का विरोध किया है। समाचारपत्र ने इस प्रतिबंध को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है। समाचारपत्र ने कहा है कि नगर निगम को किसी के खाने-पीने पर प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है और न ही सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी नागरिक पर अपनी पसंद थोपे। शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि 15 अगस्त को मांस की दुकानें बंद रखने का फैसला क्यों किया गया है? उन्होंने फडणवीस के इस बयान पर कटाक्ष किया है कि यह फैसला सरकार का नहीं, बल्कि नगर निगमों का है। राउत ने कहा कि हमें मालूम है कि यह फैसला सरकार का नहीं है, लेकिन जिन नगर निगमों ने यह फैसला किया है उनमें निर्वाचित सदस्य नहीं हैं और वे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासकों के नियंत्रण में काम कर रहे हैं। इन प्रशासकों को बूचड़खाने और मांस की दुकानें बंद करने का फैसला करने का अधिकार किसने दिया? अजीब बात है कि नागपुर में भी इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया है और स्वयं मुख्यमंत्री वहां से विधायक हैं।

एआईएमआईएम के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने दावा किया है कि उन्होंने

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घर पर मटन पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस आयोजन की तस्वीरें प्रसारित की हैं। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य के मुख्यमंत्री और नगर निगम के प्रशासक मेरे घर पर मटन बिरयानी और मटन कोरमा खाने के लिए जरूर आएंगे। जलील ने कहा कि भारत एक आजाद देश है। महाराष्ट्र में तानाशाही नहीं है। किसी भी पार्टी को यह अधिकार नहीं है कि वह एक विशेष वर्ग के खान-पान में हस्तक्षेप करे।

एनसीईआरटी की किताब में भारत विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार

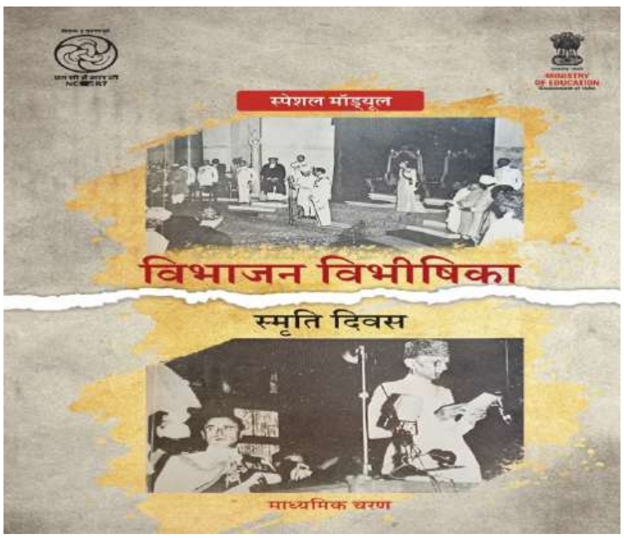

उर्दू टाइम्स (17 अगस्त) के अनुसार भारत सरकार ने 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' घोषित किया है। इस दिन का लक्ष्य छात्रों व समाज को यह याद दिलाना है कि भारत के विभाजन ने लाखों लोगों के जीवन पर कितना गहरा असर डाला था। इस संबंध में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने कक्षा 6-8 के मध्य और माध्यमिक कक्षाओं के लिए एक खास मॉड्यूल तैयार किया है। इसका मतलब है कि अब मिडिल और सेकेंडरी स्कूलों के बच्चों को यह पढ़ाया जाएगा कि 1947 में देश के विभाजन के समय लोगों को कितनी कठिनाइयों व दुखों का सामना करना पड़ा और हमें उससे क्या सीख लेनी चाहिए। एनसीईआरटी के इस खास मॉड्यूल में बताया गया है कि देश का विभाजन किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुआ था, बल्कि इसके लिए तीन लोग जिम्मेदार थे। पहला, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने विभाजन की मांग की। दूसरा, कांग्रेस जिसने विभाजन को स्वीकार कर लिया और तीसरा, लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने इसे लागू किया।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस मॉड्यूल पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि देश का विभाजन हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी के कारण हुआ था। एनसीईआरटी के मॉड्यूल के मुताबिक भारत का विभाजन गलत सोच के कारण हुआ।

मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर में एक अधिवेशन का आयोजन किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा था कि "हिंदू और मुसलमान अलग धर्म, अलग रीति-रिवाज और अलग साहित्य मानने वाले समुदाय हैं। इन दोनों समुदायों का इतिहास भी अलग है।" जबकि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत स्वतंत्र हो, लेकिन उसका विभाजन न हो। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई, जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात थी। अर्थात् ब्रिटिश सम्राट सिर्फ नाम के लिए भारत का प्रमुख रहता, लेकिन देश का असली प्रशासन भारतीयों के हाथ में होता। ब्रिटिश सरकार ने अलग-अलग प्रांतों को इस डोमिनियन का हिस्सा बनने या इससे अलग रहने का भी विकल्प दिया था। हालांकि,

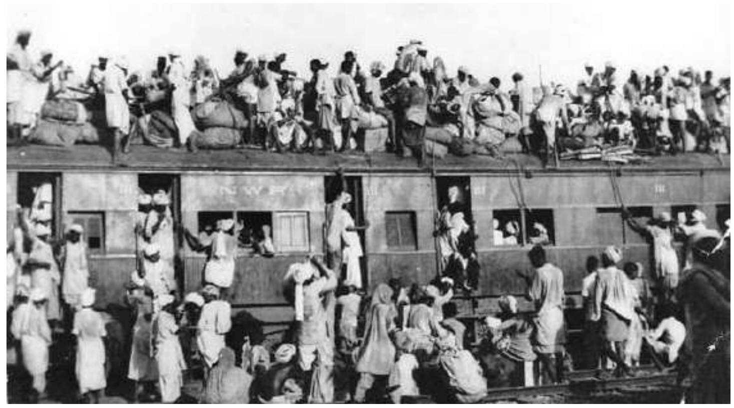

कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की इस योजना को ठुकरा दिया था।

एनसीईआरटी के इस मॉड्यूल के मुताबिक स्वतंत्रता के समय विभाजन को लेकर देश के बड़े नेताओं की अलग-अलग राय थी। सरदार वल्लभभाई पटेल शुरू में विभाजन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे जबरन ली जाने वाली एक कड़वी दवाई की तरह स्वीकार कर लिया। जुलाई 1947 में बॉम्बे की एक सभा में उन्होंने कहा था कि "देश युद्ध का मैदान बन चुका है। दोनों समुदाय अब शांति से नहीं रह सकते। गृहयुद्ध से अच्छा है कि देश का विभाजन कर दिया जाए।"

मॉड्यूल के मुताबिक भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बड़ी गलती की थी। उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की तिथि जून 1948 से घटाकर अगस्त 1947 कर दी। अर्थात् देश विभाजन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ पांच सप्ताह मिले। विभाजन के दौरान सीमाएं भी बहुत जल्दबाजी में तय की गईं। हालात ये थे कि 15 अगस्त 1947 के दो दिन बाद तक पंजाब के लाखों लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। इस मॉड्यूल की आलोचना कांग्रेस के अतिरिक्त आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम ने भी की है।

हिंदुस्तान (17 अगस्त) के अनुसार एनसीईआरटी द्वारा जारी एक मॉड्यूल में मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत विभाजन का जिम्मेदार बताया गया है। मॉड्यूल में यह भी कहा गया है कि विभाजन के बाद कश्मीर समस्या की शुरुआत हुई। यह समस्या पहले भारत में मौजूद नहीं थी। इसने भारत की विदेश नीति के लिए एक चुनौती पैदा की। इस मॉड्यूल में यह भी दावा किया गया है कि कई देश पाकिस्तान का साथ देकर भारत पर दबाव बनाने लगे। समाचारपत्र ने कहा है कि बाद में माउंटबेटन ने यह स्वीकार किया था कि भारत का विभाजन उनकी गलती थी।

एतेमाद (17 अगस्त) के अनुसार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि देश के विभाजन के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराया जा रहा है। यह पूरी तरह से गलत है। यह प्रचार किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार आदि राज्यों के चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं ने पाकिस्तान के निर्माण के पक्ष में मतदान किया था। ओवैसी ने सफाई देते हुए कहा है कि उस समय आम लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था। चुनाव में मत देने का अधिकार सिर्फ धनवानों, जमींदारों और रजवाड़ों को था, इसलिए 90 प्रतिशत से अधिक मुसलमानों ने इस चुनाव में भाग ही नहीं लिया था। एनसीईआरटी को चाहिए कि वह भारत विभाजन को रोकने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद के प्रयासों को भी इस मॉड्यूल में शामिल करे, जिसका उल्लेख शम्सुल इस्लाम ने अपनी पुस्तक 'मुस्लिम अगेंस्ट पार्टिशन' में किया है। ओवैसी ने कहा कि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ गठजोड़ किया था और वे वहां पर मंत्री भी बने थे। उनके मंत्रिमंडल का नेतृत्व फजलुल हक कर रहे थे, जिन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान

का प्रस्ताव पेश किया था। ऐसे में क्या वे लोग देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं थे?

औरंगाबाद टाइम्स (17 अगस्त) के अनुसार आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एनसीईआरटी के मॉड्यूल पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि आरएसएस ने हमेशा 'द्विराष्ट्र सिद्धांत' का समर्थन किया है। सावरकर ने भी अपनी किताब में इसका उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि भारत विभाजन के लिए मुस्लिम लीग, आरएसएस और हिंदू महासभा जिम्मेदार थे।

मुसलमानों को एक मंच पर लाने का प्रयास

इंकलाब (18 अगस्त) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में मांग की गई कि देश के मुसलमानों की समस्याओं के समाधान के लिए सभी मुस्लिम संगठनों को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट हो जाना चाहिए और एक संयुक्त फ्रंट का गठन करना चाहिए। इस सम्मेलन में दावा किया गया कि आज देश के मुसलमान पिछड़ेपन के शिकार हैं और वे सांप्रदायिक शक्तियों के निशाने पर हैं। अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि मुसलमानों और इस्लाम को नेस्तनाबूद करने के एजेंडे पर चलने वाली सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ मुसलमान संगठित होकर संयुक्त अभियान चलाएं। मुशावरत के अध्यक्ष डॉ. जफरुल इस्लाम खान ने कहा कि आज से 61 साल पहले 1964 में हमारे बुजुर्गों ने ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत की नींव रखी थी। अब कुछ शरारत पसंद तत्व अपने आकांओ के इशारे पर मुसलमानों को विभाजित करने और उन्हें हर तरह से तबाह व बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं।

पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने कहा कि मुसलमानों को एक कौम के तौर पर संगठित होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग हमारी अलग पहचान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। वे जबरन हमें इस्लाम से दूर करना चाहते हैं। अगर हमने अपनी अलग पहचान खो दी तो यह सबसे बड़ी त्रासदी होगी। योजना आयोग की पूर्व सदस्य सैयदा सैय्यदैन हमीद ने कहा कि मुसलमानों के अधिकारों के संघर्ष में महिलाओं

को भी शामिल करने की जरूरत है। आज सत्तारूढ़ दल मुसलमानों को घुसपैठिया करार देकर उन्हें उनके देश से बेदखल करने पर तुला हुआ है। मुसलमानों को इस देश से भगाने की साजिशें हो रही हैं और इसकी शुरुआत असम में पूरी गति से हो गई है। मुसलमानों को रोहिंग्या करार देकर विदेशी घोषित किया जा रहा है और उन्हें जबरन समुद्र में फेंका जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों के खिलाफ दरिंदगी का माहौल है।

समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि आज कुछ लोग इस देश के इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वे मुगलों और अन्य मुस्लिम शासकों के नामों को देश के इतिहास से मिटाने में लगे हुए हैं। वे देश की गंगा-जमुनी तहजीब को खत्म करके इस पर हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लादना चाहते हैं। नदवी ने कहा कि मुसलमानों को हक और इंसाफ के लिए एकजुट हो जाना चाहिए और अपने अधिकारों व अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए। मौलाना आमिर रशादी ने कहा कि मुसलमान जब तक राजनीतिक तौर पर शक्तिशाली नहीं होंगे तब तक उनकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग मिल्लत को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं उनसे मुसलमानों को सावधान रहने की जरूरत है।

कारवां-ए-मोहब्बत के प्रमुख हर्ष मंदर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस जनसांख्यिकी को बदलने की बात कही है उसका सीधा निशाना मुसलमान हैं। मुसलमानों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या करार देकर उन्हें देश से निष्कासित किया जा रहा है। मुसलमानों के दिलों में यह डर पैदा किया जा रहा है कि वे इस देश के नागरिक नहीं हैं। सरकार उन्हें हिरासत केंद्रों में भेज रही है ताकि उन्हें घुसपैठिया करार देकर इस देश से बाहर धकेला जा सके।

पृष्ठभूमि: उल्लेखनीय है कि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत में कई बार विभाजन हो चुका है। अंतिम बार 2024 में इस संगठन में विभाजन हो गया था। इसकी विधिवत घोषणा मजलिस-ए-मुशावरत के पूर्व अध्यक्ष और नवगठित ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत (पंजीकृत) के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. जफरुल इस्लाम खान ने एक प्रेस कांफ्रेंस में की थी। उन्होंने दावा किया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत मेरे नाम से पंजीकृत है। उन्होंने कहा था कि विख्यात मुस्लिम नेता मौलाना मोहम्मद सलीम कासमी ने 2003 में इस पंजीकरण को मेरे नाम पर हस्तांतरित किया था। इसका पंजीकरण संख्या एस/46913 है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरा ही संगठन पंजीकृत संस्था है। जो दूसरा संगठन बनाया गया है, वह गैर-पंजीकृत है और उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है।

गौरतलब है कि जुलाई 2024 में जफरुल इस्लाम खान के इस संगठन के पदाधिकारियों का चुनाव हुआ था। इसमें डॉ. जफरुल इस्लाम खान अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इसके अतिरिक्त प्रो. मोहम्मद सुलेमान, मौलाना जिनान अशगर मौलाई और मौलाना अताउर रहमान कासमी उपाध्यक्ष चुने गए थे। मासूम मुरादाबादी (महासचिव), सैयद तहसीन अहमद (कार्यकारी महासचिव), डॉ. जावेद अहमद (सचिव) और शम्सुज जोहा

कार्यालय खरीदा गया था वह हमारे पास है और हम तब से लेकर अब तक मुशावरत के बैंक खाते का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत (पंजीकृत) एक फर्जी संगठन है और उसे कुछ लोगों ने अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया है।

(कोषाध्यक्ष) चुने गए थे। इसके अतिरिक्त 21 लोग कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए थे।

तब मजलिस-ए-मुशावरत के दूसरे धड़े के अध्यक्ष फिरोज अहमद ने जफरुल इस्लाम खान के दावे को गैर-कानूनी करार दिया था। उन्होंने कहा था कि डॉ. जफरुल इस्लाम का संगठन गैरकानूनी और असंवैधानिक है। उन्होंने दावा किया था कि कुछ साल पहले मुशावरत का विभाजन दो भागों में हो गया था और बाद में इन दोनों में एकता भी हो गई थी। इसके बाद जो चुनाव हुआ था उसमें अध्यक्ष पद के लिए नवेद हामिद और डॉ. जफरुल इस्लाम में मुकाबला हुआ था। इस चुनाव में डॉ. जफरुल इस्लाम हार गए थे। मुशावरत के संविधान के मुताबिक मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत का दो बार ही कोई लगातार अध्यक्ष बन सकता है और जफरुल इस्लाम दो बार इसके अध्यक्ष बन चुके हैं, इसलिए वे तीसरी बार अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ सकते।

फिरोज अहमद ने दावा किया था कि दिसंबर 2022 में जो चुनाव हुआ था उसमें वे चार सालों के लिए मुशावरत के अध्यक्ष चुने गए थे और 2 अप्रैल 2023 को उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया था। अगला चुनाव 2027 में होना है, इसलिए डॉ. जफरुल इस्लाम का अध्यक्ष होने का दावा नियमों के खिलाफ है। फिरोज अहमद ने कहा था कि मुशावरत की धनराशि से जो

बता दें कि 1963 में कोलकाता, जमशेदपुर और राउरकेला में जबर्दस्त सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इसके बाद देश के विभिन्न मुस्लिम नेताओं ने कोलकाता में हुई एक बैठक में यह फैसला किया था कि भारतीय मुसलमानों की समस्याओं के समाधान के लिए देश के विभिन्न मुस्लिम संगठनों को एक मंच पर इकट्ठा किया जाए। अगस्त 1964 में लखनऊ स्थित दारुल उलूम नदवतुल उलमा में देश के 100 से अधिक मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में विभिन्न मुस्लिम फिरकों और संगठनों से संबंधित प्रतिनिधि एक मंच पर इकट्ठे हुए थे। इनमें अहले सुन्नत, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, बोहरा, जमीयत उलेमा-ए-हिंद, जमात-ए-इस्लामी, इमारत-ए-शरिया, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तामीर-ए-मिल्लत, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आदि शामिल थे। इस बैठक की अध्यक्षता दारुल उलूम नदवतुल उलमा के तत्कालीन प्रमुख मौलाना अबुल हसन नदवी ने की थी।

बताया जाता है कि इस संगठन को बनाया जाना कांग्रेस को पसंद नहीं आया। कांग्रेस हाईकमान का मत था कि मुसलमानों के लिए एक अलग संगठन बनाना कांग्रेस के हितों के विपरीत है। यही कारण है कि कांग्रेस हाईकमान के दबाव

पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद महमूद और कांग्रेस से जुड़े कई नेताओं ने इस संगठन से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस समर्थक मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भी इस नए संगठन से अलग होने की घोषणा कर डाली। मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत के नेताओं ने अबुल हसन नदवी से अनुरोध किया कि वे इस संगठन की अध्यक्षता को स्वीकार कर लें, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। उनके अनुरोध पर जमीयत उलेमा के एक पुराने नेता मुफ्ती अतीकुर रहमान उस्मानी को मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

मजलिस-ए-मुशावरत के राजनीति में भाग लेने के मामले पर इसके घटकों में गंभीर मतभेद थे। इसके बाद इससे जुड़े एक घटक के नेता डॉ. अब्दुल जलील फरीदी ने 2 जून 1967 को मुस्लिम मजलिस नामक एक नए राजनीतिक संगठन बनाने की घोषणा की। मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत ने यह प्रयास किया कि विभिन्न मुस्लिम संगठन लोकसभा के लिए संयुक्त रूप से अपने उम्मीदवार खड़े करें, लेकिन इस पर सहमति न बनने के कारण यह प्रयास विफल हो गया। 1978 में दिल्ली में मुशावरत का एक अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में मुसलमानों की समस्याओं जैसे आरएसएस के बढ़ते हुए प्रभाव, सांप्रदायिक दंगों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप आदि मुद्दों पर विचार किया गया था। इससे पहले आपातकाल लागू होते ही मुशावरत के महामंत्री युसूफ सिद्दीकी को गिरफ्तार करके अंबाला जेल भेज दिया गया था। जेल में ही उनका निधन हो गया था। 1979 में मौलाना अहमद अली कासमी को मुशावरत का नया महामंत्री नियुक्त किया गया। इसी दौरान मुफ्ती अतीकुर रहमान का 1982 में निधन हो गया। मुशावरत के काम-काज को चलाने के लिए दो उपाध्यक्ष शेख जुल्फिकार उल्लाह और सैयद शहाबुद्दीन बनाए गए। मुशावरत ने जमात-ए-इस्लामी के अध्यक्ष मौलाना अबुल लाईस इस्लाही से अनुरोध किया कि वे मुशावरत के अध्यक्ष का कार्यभार संभालें, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं हुए।

1983 में असम के नेल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इसी दौरान भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने उन मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में थीं। इसका मुशावरत ने विरोध किया। इसी दौरान सैयद शहाबुद्दीन मुशावरत के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। अक्टूबर 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके बाबरी मस्जिद और उससे संबंधित

कब्रिस्तान की भूमि को अपने अधिकार में ले लिया था। मुशावरत ने इसका भी कड़ा विरोध किया। 1992 में मुशावरत में शामिल कुछ लोगों ने एक समानांतर संगठन मिल्ली काउंसिल बना डाला। इससे मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत को भारी धक्का लगा।

फरवरी 1993 में यह फैसला किया गया कि मजलिस-ए-मुशावरत का पुनर्गठन किया जाए, लेकिन यह प्रयास विफल रहा। मुशावरत के अध्यक्ष सैयद शहाबुद्दीन ने 1995 में इस संगठन के संस्थापक मौलाना अबुल हसन नदवी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मुशावरत नाम का संगठन खत्म हो चुका है। अब जो संगठन चलाया जा रहा है वह अवैध है और उसका संचालन जुल्फिकार उल्लाह, मौलाना अहमद अली कासमी और मोहम्मद काजमी द्वारा किया जा रहा है। शहाबुद्दीन ने आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद की बहाली के लिए जो फंड इकट्ठा किया गया था उसे नाजायज तरीके से मजलिस-ए-मुशावरत पर खर्च किया जा रहा है।

18 नवंबर 1995 को मजलिस-ए-मुशावरत की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मुशावरत के 68 सदस्यों में से 47 ने भाग लिया था। इस बैठक में मौलाना मोहम्मद सलीम कासमी को मुशावरत का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जबकि जमात-ए-इस्लामी के शफी मूनिस महामंत्री बनाए गए। मौलाना जुनैद अहमद बनारसी को कोषाध्यक्ष और असदुद्दीन ओवैसी को सचिव बनाया गया। इसके बाद मुशावरत दो समानांतर संगठनों में विभाजित हो गया। एक संगठन के अध्यक्ष मौलाना सलीम कासमी और दूसरे संगठन के अध्यक्ष सैयद शहाबुद्दीन बन गए। जून 2000 में सैयद शहाबुद्दीन ने मुशावरत का अध्यक्ष होने का दावा किया, लेकिन कुछ अन्य लोगों ने आरोप लगाया कि यह चुनाव गलत ढंग से हुआ है और सैयद शहाबुद्दीन जोड़-तोड़ करके अध्यक्ष बने हैं। 2013 में दोनों गुटों को इकट्ठा करने का प्रयास किया गया और सैयद शहाबुद्दीन ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने की घोषणा कर दी। दिल्ली में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि मुशावरत के अगले अध्यक्ष डॉ. जफरुल इस्लाम खान होंगे। जबकि मौलाना सलीम कासमी को सर्वोच्च मार्गदर्शन परिषद का अध्यक्ष घोषित किया गया था।

उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को उच्च न्यायालय में चुनौती

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (19 अगस्त) के अनुसार मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के खिलाफ उत्तराखंड उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। जमीयत उलेमा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उत्तराखंड उच्च न्यायालय के

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेन्द्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 23 सितंबर निर्धारित की है। अदालत ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी करके अपना जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि संविधान के अनुसार किसी भी राज्य सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने का अधिकार नहीं है। संविधान की धारा 44 में इसका निषेध किया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा जो नया कानून लाया गया है वह अल्पसंख्यकों को संविधान की धारा 14, 19, 21 और 25 के तहत दिए गए अधिकारों का हनन है।

गौरतलब है कि उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता को मंजूरी मिलने के बाद इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में इसे पूरे राज्य में लागू किया गया था। इसके साथ ही उत्तराखंड देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा है कि यह कानून कुरान और शरिया के खिलाफ है और मुसलमानों के धर्म में सीधा हस्तक्षेप है। वर्तमान सरकार समान नागरिक संहिता लाकर मुसलमानों से वह अधिकार छीन लेना चाहती है, जो उन्हें संविधान से मिला है। मदनी ने कहा कि हमारी आस्था के अनुसार शरिया कानून किसी व्यक्ति या अदालत का बनाया हुआ नहीं, बल्कि इसे खुदा ने बनाया है। यह कुरान व हदीस पर आधारित हैं, इसलिए किसी भी सरकार या अदालत को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

रोजनामा सहारा (18 अगस्त) के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को खत्म करने का फैसला किया है। सरकार उसके स्थान पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक, 2025 ला रही है। इस सरकारी फैसले का असर यह होगा कि अब तक जो लाभ मुसलमानों के मदरसों को मिल रहा था वही लाभ अब अन्य अल्पसंख्यक वर्ग के संस्थानों को भी मिलेगा। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार राज्य सरकार ने उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2016 के साथ-साथ उत्तराखंड गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम, 2019 को भी रद्द करने का फैसला किया है।

इंकलाब (15 अगस्त) के अनुसार उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जबरन, धोखे से या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने से संबंधित कानून को और कड़ा करने का फैसला किया है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है। संशोधित विधेयक के अनुसार धनराशि, तोहफा, नौकरी का लालच, मुफ्त शिक्षा का वादा, शादी का झांसा, किसी दूसरे धर्म की बुराई और किसी धर्म की प्रशंसा या सोशल मीडिया के जरिए धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास को गैर-जमानती अपराध माना जाएगा। विवाह के इरादे से धर्म छिपाने पर तीन से 10 साल की जेल और तीन लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। जबकि सामान्य धर्मांतरण के मामलों में तीन से 10 साल तक की जेल और 50 हजार रुपये जुर्माने की व्यवस्था की गई है।

संशोधित विधेयक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी महिला, बच्चा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या विकलांग का धर्मांतरण कराता है तो उसे पांच से 14 साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। नए विधेयक के तहत सामूहिक धर्मांतरण के मामले में सात से 14 साल तक की जेल और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर सामूहिक धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति पर विदेशों से धनराशि लेने का आरोप साबित होता है तो उसे सात से 14 साल की जेल और कम-से-कम 10 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। इस विधेयक में धमकी, हमला या तस्करी के जरिए धर्मांतरण कराने पर उम्रकैद तक की व्यवस्था की गई है। इस विधयेक के अनुसार जिलाधिकारी धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं या व्यक्तियों की संपत्ति जब्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पीड़ितों को सरकार द्वारा कानूनी सहायता, खाना-पीना और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस विधेयक में यह भी व्यवस्था है कि संदेह होने पर पुलिस धर्मांतरण के आरोपी को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है।

पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान

पाकिस्तान सरकार ने बलूच विद्रोहियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ दिया है। पूरे बलूचिस्तान और कराची में कर्फ्यू लगाने के बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है।

रोजनामा सहारा (14 अगस्त) के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने बलूच विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य अभियान में दो दिनों के अंदर 50 बलूच लड़ाकों को मारने का दावा किया है। पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग (आईएसपीआर) के अनुसार मारे गए बलूच लड़ाकों के कब्जे से भारी मात्रा में विदेशी हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं। सेना ने घोषणा की है कि जब तक पाकिस्तान को आतंकवाद से मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक यह अभियान जारी रहेगा।

उर्दू टाइम्स (11 अगस्त) के अनुसार जमात-ए-इस्लामी बलूचिस्तान के अमीर मौलाना हिदायत-उर-रहमान ने घोषणा की है कि अगर बलूचिस्तान में स्थिति नहीं सुधरी और पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष बलूचों की गिरफ्तारी व उनकी निर्मम हत्या का सिलसिला बंद नहीं किया गया तो उनकी पार्टी देशभर में प्रदर्शन करेगी और इस्लामाबाद स्थित सैन्य मुख्यालय को घेर लिया जाएगा। उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार को छह महीने का अल्टीमेटम दिया है। अगर इस अवधि में उनकी मांगों को लागू नहीं किया गया तो वे देशव्यापी प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू कर देंगे। मौलाना रहमान ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी कि अगर ग्वादर के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, साफ पीने का पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार नहीं दिए गए तो ग्वादर बंदरगाह को ठप कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो सरकार को हमारी लाशों को पार करना पड़ेगा।

एक अन्य समाचार के अनुसार पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) ने देशभर में इंटरनेट व मोबाइल सेवाओं को निलंबित करने के लिए सरकार की आलोचना की है। एचआरसीपी ने कहा है कि यह पाकिस्तानी जनता के मौलिक अधिकारों का हनन है। इंटरनेट व मोबाइल सेवा बंद करने से आतंकवादियों को नहीं, बल्कि आम जनता को नुकसान पहुंचता है। एचआरसीपी ने पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय से भी अनुरोध किया है कि वह इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे ताकि देश की जनता को उनके बुनियादी अधिकार मिल सकें।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (18 अगस्त) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने पूरे देश में धारा 144 लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत

सभी तरह के प्रदर्शनों व जनसभाओं को आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मोटरसाइकिलों पर दो सवारी बैठने और नकाब से उनके चेहरे ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त रात में सभी तरह के वाहनों के आवागमन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बलूचिस्तान में एक सप्ताह के लिए ट्रेन और बस सेवा बंद कर दी गई है। बलूचिस्तान के 36 जिलों में से 21 में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है और सभी सड़कों पर सेना तैनात कर दी गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण लगाया गया है। जैसे ही स्थिति में सुधार होगी इस प्रतिबंध को हटा लिया जाएगा।

चट्टान (13 अगस्त) के अनुसार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने मस्तुंग के नजदीक क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को मिसाइल से निशाना बनाया है। इस हमले में ट्रेन के छह डिब्बे पटरी से उतर गए।

रोजनामा सहारा (13 अगस्त) के अनुसार अमेरिका ने बीएलए और उसके सहयोगी संगठन मजीद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस प्रतिबंध की विधिवत घोषणा की है। इस विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि ट्रम्प प्रशासन द्वारा आतंकवाद के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

उर्दू टाइम्स (16 अगस्त) के अनुसार बीएलए ने अमेरिका द्वारा उसे आतंकवादी संगठन घोषित करने की निंदा की है। बीएलए ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया है कि हम अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। हमें किसी बाहरी देश के प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। बीएलए के प्रवक्ता जीयंद बलूच ने कहा है कि अमेरिका ने यह फैसला पाकिस्तानी सेना प्रमुख के दबाव में किया है। उन्होंने दावा किया कि 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया था। बीएलए तब से पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि हमारी लड़ाई पाकिस्तानी सेना, फ्रंटियर कोर, खुफिया नेटवर्क और डेथ स्क्वायड जैसे सरकारी संगठनों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी जनता के खिलाफ नहीं हैं और न ही किसी देश के प्रति हमारी शत्रुता की भावना है। हम अपने अधिकार और अपने देशवासियों की आजादी के लिए लड़ रहे हैं।

दक्षिण कोरिया में इस्लामी आतंकवादी गिरफ्तार

उर्दू टाइम्स (13 अगस्त) के अनुसार दक्षिण कोरिया में लश्कर-ए-तैयबा के एक खतरनाक पाकिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों में भी लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। पुलिस के अनुसार इस आतंकवादी को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल से गिरफ्तार किया गया है। कोरियाई अखबार 'कोरिया हेराल्ड' ने दावा किया है कि यह आतंकवादी पहचान बदलकर स्थानीय बाजार के एक स्टोर में काम कर रहा था। ग्योंगगी नम्बू प्रांतीय पुलिस एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि 40 वर्षीय इस आतंकवादी को आतंकवाद निरोधक

अधिनियम और आव्रजन अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।

इस आतंकवादी से पूछताछ के बाद उसके गिरोह से जुड़े कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या बताने से इंकार कर दिया है और कहा है कि अभी इस मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने दावा किया है कि इस आतंकवादी ने स्वीकार किया है कि उसका संबंध पाकिस्तान से संचालित इस्लामिक आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से है और उसने हथियारों का उपयोग व घुसपैठ करने की रणनीति का प्रशिक्षण लिया था। 2023 में उसने दक्षिण कोरिया में प्रवेश किया था। उसका लक्ष्य दक्षिण कोरिया में आतंकवादी गिरोह की स्थापना करना था। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस गिरोह को विदेशी स्रोतों से भी धनराशि प्राप्त हो रही थी?

उल्लेखनीय है कि यह पहला अवसर है जब दक्षिण कोरिया में किसी पाकिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मई 2005 में लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने और अलकायदा, ओसामा बिन लादेन व अन्य आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने के कारण आतंकवादी संगठन घोषित किया था। कोरियाई पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान इस आरोपी ने यह भी स्वीकार किया है कि हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था।

हिंदुस्तान (2 अगस्त) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद आतंकवादी इस क्षेत्र में एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पहलगाम में हुए हमले के पीछे 'द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ)' का हाथ था, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस संगठन के तार प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से भी जुड़े पाए गए हैं। टीटीपी का संबंध इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के खुरासान विंग से भी है। टीटीपी से छह हजार आतंकवादी जुड़े हुए हैं। इनके पास अमेरिकी सैनिकों द्वारा अफगानिस्तान में छोड़े गए अत्याधुनिक हथियार हैं।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन आतंकवादियों को अफगानिस्तान में स्थित गुप्त शिविरों में प्रशिक्षण दिया गया है। इन्हीं शिविरों में बीएलए के लड़ाकों को भी प्रशिक्षण दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान सरकार इन आतंकवादी गिरोहों की गतिविधियों पर अब तक रोक नहीं लगा पाई है। मध्य और दक्षिण एशिया में आईएसआईएस खुरासान विंग सबसे ज्यादा सक्रिय है। इसके आतंकवादियों की संख्या दो हजार है। यह संगठन शियाओं और तालिबान सरकार के अधिकारियों को अपना निशाना बनाता है।

आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति समझौता

सियासत (10 अगस्त) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मध्यस्थता में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दशकों से चल रहे विवाद को खत्म करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। अमेरिकी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की मौजूदगी में यह समझौता हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रम्प ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध स्थापित होंगे। गौरतलब है कि आर्मेनिया और अजरबैजान ने 1980 के दशक में नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र को लेकर युद्ध लड़ा था। हालांकि, यह क्षेत्र अजरबैजान का है, लेकिन इसमें अर्मेनियाई मूल के ईसाइयों की आबादी अधिक है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने के लिए दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। समाचारपत्र ने दावा किया है कि इस समझौते से मध्य एशिया में रूस को गहरा झटका लगा है। जबकि अमेरिकी प्रभाव में बढ़ोतरी हुई है।

एतेमाद (11 अगस्त) ने अपने संपादकीय में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच पिछले 37 सालों से चल रहे युद्ध का खात्मा हो गया है। हालांकि, नागोर्नो-काराबाख अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन वहां पर अर्मेनियाई मूल के ईसाई रहते हैं। अर्मेनियाई मूल के ईसाइयों को अजरबैजान के मुसलमानों के साथ रहना स्वीकार्य नहीं था, इसलिए उन्होंने आर्मेनिया के साथ अपना नाता जोड़ लिया। इसके बाद आर्मेनिया ने नागोर्नो-काराबाख में अपना कठपुतली प्रशासन स्थापित कर दिया।

अजरबैजान ने 2023 में तुर्की की मदद से नागोर्नो-काराबाख पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इसके कारण इस क्षेत्र में रहने वाले एक लाख अर्मेनियाई ईसाई भागकर आर्मेनिया चले गए। अजरबैजान की आबादी एक करोड़ के लगभग है। इसमें 95 प्रतिशत जनसंख्या मुसलमानों की है। जबकि आर्मेनिया की आबादी 30 लाख है और वहां पर ईसाई बहुसंख्यक हैं। नागोर्नो-काराबाख को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सितंबर-नवंबर 2020 में भी युद्ध हुआ था। इस युद्ध में तुर्की ने अजरबैजान का साथ दिया था और उसने इस क्षेत्र के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। बाद में रूस की मध्यस्थता के कारण आर्मेनिया ने वहां से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया और युद्धविराम की निगरानी के लिए लगभग दो हजार रूसी शांति सैनिकों को इस क्षेत्र में तैनात किया गया।

अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का प्रयास

पाकिस्तान और ईरान ने अपने-अपने देशों से एक करोड़ से अधिक अफगान मूल के नागरिकों को जबरन अफगानिस्तान भेजना शुरू कर दिया है। इन दोनों देशों का लक्ष्य अफगानिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट करना है।

इंकलाब (19 अगस्त) के अनुसार ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी ने ईरानी संसद को बताया कि इस समय ईरान में अफगान मूल के 60 लाख से अधिक नागरिक रह रहे हैं। सरकार ने यह फैसला किया है कि इस साल के अंत तक कम-से-कम 20 लाख अफगान मूल के नागरिकों को अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले ईरान अफगान मूल के 15 लाख नागरिकों को जबरन अफगानिस्तान में धकेल चुका है। उन्होंने मशहद में उन हिरासत शिविरों का दौरा किया, जिनमें अफगान मूल के नागरिकों को रखा गया है। उन्होंने कहा कि अब तक 12 लाख से अधिक अफगान नागरिकों को ईरान से अफगानिस्तान भेजा जा चुका है।

मोमेनी ने कहा कि अफगान सरकार का यह दावा बिल्कुल गलत है कि जिन नागरिकों को ईरान से निष्कासित किया जा रहा है वे ईरान में ही पैदा हुए थे, इसलिए वे ईरानी नागरिक हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका देश अफगानिस्तान विरोधी नहीं है। हाल ही में काफी अफगान नागरिकों को ईरान विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। इनमें से काफी लोगों पर इजरायल और अमेरिका के इशारे पर जासूसी करने का आरोप है। उन्होंने कहा कि ईरानी सुरक्षा एजेंसियां इजरायल और अमेरिका के जासूसों की तलाशी का अभियान जोरों से चला रही हैं, क्योंकि इन लोगों के कारण ईरान-इजरायल संघर्ष में ईरान को काफी नुकसान उठाना पड़ा है।

चट्टान (7 अगस्त) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने फैसला किया है कि इस साल के अंत तक पंजीकरण प्रमाण (पीओआर) रखने वाले सभी अफगान मूल के नागरिकों को पाकिस्तान से निष्कासित कर दिया जाएगा। यह अभियान एक सितंबर से प्रारंभ किया जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में रहने वाले अफगान नागरिक पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं और उनमें से काफी लोग तस्करी, जासूसी व आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। यही कारण है कि हम पिछले एक साल से पाकिस्तान में रहने वाले अफगान नागरिकों को वापस अफगानिस्तान भेज रहे हैं।

गौरतलब है कि 2002 में अफगानिस्तान में रूस समर्थक सरकार के सत्ता में आने के बाद अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान सरकार ने 90 लाख अफगान मूल के नागरिकों को अपने देश में शरण दी थी। इन शरणार्थियों को अमेरिकी खुफिया एजेंसी 'सीआईए' ने गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण देकर उन्हें फिर से अफगानिस्तान भेजना शुरू किया था ताकि वहां पर गृहयुद्ध शुरू किया जा सके। तब से ये अफगान नागरिक पाकिस्तान में रह रहे हैं। अफगानिस्तान सरकार का दावा है

कि पाकिस्तान सरकार जिन अफगान मूल के नागरिकों को घुसपैठिया करार देकर उन्हें जबरन अफगानिस्तान में धकेल रही है उनमें से अधिकांश लोगों का जन्म पाकिस्तान में ही हुआ है, इसलिए वे वहां के नागरिक हैं।

हिंदुस्तान (9 अगस्त) के अनुसार पाकिस्तान और ईरान से 40 लाख से अधिक अफगान नागरिकों की वापसी के कारण अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। अफगान सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि अफगानिस्तान पहले से ही भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अब इन नए लोगों के आने से मामला बेहद गंभीर हो गया है। हमने संयुक्त राष्ट्र से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' में फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी 'एएफपी' की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार ईरान और पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की भीड़ को देखते हुए काबुल के मकान मालिकों ने अपने घरों के किराए बढ़ा दिए हैं। इसके अतिरिक्त देश में खाद्य संकट भी बढ़ता जा रहा है।

हिंदुस्तान (10 अगस्त) में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार ईरान और पाकिस्तान से सितंबर 2023 से अब तक 40 लाख से अधिक अफगान नागरिक अफगानिस्तान लौट चुके हैं। इसके कारण देश की पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है और लोग भुखमरी के शिकार हैं। ईरान और पाकिस्तान की सरकारों ने इन शरणार्थियों का सारा सामान जब्त कर लिया था, इसलिए इन्हें पुनर्वास में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप नहीं किया तो लाखों अफगान नागरिक भूख से मर सकते हैं।

चट्टान (10 अगस्त) के अनुसार अफगानिस्तान के ऊर्जा मंत्री अब्दुल लतीफ मंसूर ने 'शमशाद टीवी' को दिए एक इंटरव्यू में आरोप लगाया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता चाहता है। उन्होंने कहा कि चाहे तालिबान हो, मुजाहिदीन हो या कम्युनिस्ट, पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी की भी सरकार नहीं चाहता है। संवाददाता ने मंसूर से पूछा कि पाकिस्तान के रक्षा विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के जिला झोब में घुसने के प्रयास में एक पड़ोसी देश द्वारा संचालित 33 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। इस पर मंसूर ने कहा कि यह आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। पाकिस्तान सरकार आतंकवादियों के उन्मूलन में विफल रही है, इसलिए वह अफगानिस्तान सरकार को दोषी करार देकर जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। उन्होंने कहा कि टीटीपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके पुष्टि की है कि उनके अड्डे अफगानिस्तान की सीमा में नहीं, बल्कि वे पाकिस्तान के कबाइली इलाकों में स्थित गुप्त शिविरों से अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं।

फिलिस्तीन के समर्थन में विदेशों में प्रदर्शन

उर्दू टाइम्स (12 अगस्त) के अनुसार लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की मांग करने वाले लगभग 700 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। इस प्रदर्शन का आयोजन फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप की ओर से किया गया था। ब्रिटिश सरकार फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप पर प्रतिबंध लगा चुकी है। 522 लोगों को प्रदर्शन में भाग लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जबकि अन्य लोगों को आतंकवाद निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि पिछले एक दशक में एक दिन में इतने अधिक प्रदर्शनकारियों को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था।

पुलिस अभियान का नेतृत्व करने वाले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमारा लक्ष्य यह है कि इन प्रदर्शनों के कारण जन जीवन प्रभावित न हो। ब्रिटेन की गृह मंत्री यवेट कूपर ने कहा कि फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप पर सुरक्षा कारणों से प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि इस संगठन से संबंधित लोग आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहे थे। गौरतलब है कि पिछले महीने ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित किया है। इस कानून के अनुसार आतंकवादियों को प्रोत्साहन देने वाले संगठन के सदस्यों को 14 साल की जेल हो सकती है।

उर्दू टाइम्स (16 अगस्त) के अनुसार ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने ब्रिटिश पुलिस को विशेष अधिकार प्रदान किए हैं। इसके तहत पुलिस संदिग्धों की नस्लीय पहचान के बारे में घोषणा कर सकती है। इसके अतिरिक्त पुलिस को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह आतंकवादी और हिंसक गतिविधियों में भाग लेने वाले संदिग्ध लोगों की गतिविधियों की निगरानी कर सकती है। इससे पहले ब्रिटिश पुलिस को ये अधिकार प्राप्त नहीं थे।

उर्दू टाइम्स (5 अगस्त) के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारी बारिश के बावजूद तीन लाख से अधिक लोगों ने फिलिस्तीन के पक्ष में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी गाजा में इजरायली कार्रवाई को रोकने और फिलिस्तीनी स्टेट को मान्यता देने की मांग कर रहे थे। इस प्रदर्शन का आयोजन 'मार्च फॉर ह्यूमैनिटी' नामक एक संगठन की ओर से किया गया था। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के अनुसार इस प्रदर्शन में डेढ़ से दो लाख लोगों ने भाग लिया था। जबकि प्रदर्शनकारियों के अनुसार इस प्रदर्शन में भाग लेने वालों की संख्या तीन लाख से अधिक थी। प्रदर्शनकारियों ने ऑस्ट्रेलिया सरकार से मांग की है कि वह फौरन फिलिस्तीनी स्टेट को मान्यता दे।

अरब देशों द्वारा ग्रेटर इजरायल योजना की आलोचना

इंकलाब (9 अगस्त) के अनुसार इजरायली मंत्रिमंडल ने गाजा पर पूर्ण कब्जे को मंजूरी दे दी है। समाचारपत्र के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने यह स्पष्ट किया है कि इस कब्जे को अमल में लाने हेतु सैन्य तैयारियां की जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र समेत अनेक देशों ने इजरायल के इस फैसले की निंदा की है। उन्होंने मांग की है कि इजरायल अपने इस फैसले को फौरन रद्द करे, क्योंकि यह फैसला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के खिलाफ है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले में कहा गया था कि इजरायल को सभी अनधिकृत क्षेत्रों को खाली कर देना चाहिए ताकि दो देशों के फॉर्मूले को कार्यान्वित किया जा सके। चीनी विदेश मंत्रालय ने इजरायल के इस फैसले की निंदा की है और कहा है कि गाजा फिलिस्तीनी जनता का है और इस पर इजरायल को कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है।

उर्दू टाइम्स (15 अगस्त) के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ग्रेटर इजरायल मेरे लिए ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मिशन है। हम इस मिशन को हर कीमत पर साकार करेंगें। यह विश्व में रहने वाले हर यहूदी का सपना है। उन्होंने कहा कि मैं अपने इस मिशन पर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूं। यह मिशन विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले हर यहूदी का है। हमारे दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हुए हैं और भविष्य में भी खुले रहेंगे। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि इजरायल के वर्तमान क्षेत्र में विस्तार किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रेटर इजरायल का अर्थ सिर्फ वर्तमान इजरायल नहीं, बल्कि उसमें वे तमाम देश शामिल हैं, जो कभी यहूदी साम्राज्य का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रेटर इजरायल की शुरुआत के लिए यह जरूरी है कि पूर्वी यरुशलम, वेस्ट बैंक, गोलान हाइट्स और सिनाई प्रायद्वीप को इसमें शामिल किया जाए। नेतन्याहू ने इजरायली चैनल 'आई24 न्यूज' को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ग्रेटर इजरायल में नील नदी से लेकर फरात नदी तक के सभी देशों को शामिल करने की योजना है। इसमें मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर, इराक और सीरिया शामिल हैं।

मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब ने ग्रेटर इजरायल की कल्पना की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इससे इस पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता खतरे में पड़ सकती है।

एतेमाद (15 अगस्त) के अनुसार विभिन्न अरब देशों ने ग्रेटर इजरायल योजना का विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यहूदी अमेरिका के सहयोग से पश्चिम एशिया के कई मुस्लिम देशों को हड़पना चाहते हैं। इजरायल की यह योजना अरबों के अस्तित्व के लिए खतरा हैं, इसलिए वे इस योजना का विरोध अंतिम क्षण तक करते रहेंगे। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी 'एसपीए' के अनुसार सऊदी अरब इजरायल की विस्तारवादी नीतियों को रद्द करता है। एसपीए ने आरोप लगाया है कि कुछ पश्चिमी देश इजरायल की इस योजना का समर्थन कर रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इजरायल की यह सोच इस पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। इसे कोई भी अरब देश स्वीकार नहीं करेगा। मिस्र ने कहा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि 4 जून 1967 की सीमाओं के आधार पर एक आजाद फिलिस्तीनी राज्य को स्थापित किया जाए और उसकी राजधानी पूर्वी यरुशलम को बनाया जाए।

जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ग्रेटर इजरायल के बारे में बयान को उत्तेजनात्मक और खतरनाक बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने नेतन्याहू के बयान को अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र की घोषणा का खुला उल्लंघन बताया है। प्रवक्ता ने कहा कि यह अरब देशों के अस्तित्व के लिए खतरा है। उन्होंने दुनिया के देशों से अपील की है कि वे इजरायल के विस्तारवादी इरादों पर प्रतिबंध लगाएं। कतर ने भी इजरायल की इस योजना का विरोध करते हुए कहा है कि इजरायल पश्चिमी देशों के समर्थन से पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों को हड़पना चाहता है। दुनियाभर के मुसलमानों को एकजुट होकर इस योजना का विरोध करना चाहिए।

उर्दू टाइम्स (17 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान से इस्लामिक जगत में नया तूफान खड़ा हो गया है। ग्रेटर इजरायल की मांग अंतरराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाना है। इस मांग से पश्चिम एशिया में जंग और तबाही में बढ़ोतरी होगी। समाचारपत्र ने कहा है कि ग्रेटर इजरायल की कल्पना नई नहीं, बल्कि यह बहुत पुरानी कल्पना है। इसकी शुरुआत ब्रिटेन और अन्य ईसाई देशों ने इजरायल की स्थापना से की थी। हैरानी की बात है कि अरब देश अमेरिका के दबाव के कारण इजरायल के इन खतरनाक मंसूबों पर चुप हैं। जॉर्डन व मिस्र जैसे देश पहले ही इजरायल के साथ शांति समझौता कर चुके हैं और सऊदी अरब व खाड़ी देश अब्राहम समझौते की कैद में हैं। अमेरिका हमेशा से इजरायल का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। अजीब बात है कि अभी तक उसने इजरायल की इस नई योजना की निंदा नहीं की है, बल्कि वह मौन धारण करके इजरायल को बढ़ावा दे रहा है। भारत ने भी इस खतरनाक योजना पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि, भारत की विदेश नीति अरब समर्थक रही है, लेकिन वर्तमान स्थिति में वह अपनी पुरानी नीति का अनुसरण करने के बारे में गंभीर नहीं है। नेतन्याहू ने हाल ही में यह बयान दिया है कि भारत और इजरायल की भागीदारी का बेहतरीन दौर अभी आना बाकी है। उनका यह

बयान इस बात का संकेत है कि इजरायल को यह विश्वास है कि भारत उसकी विस्तारवादी नीति का समर्थन करेगा।

मुंसिफ (18 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इजरायल ने ग्रेटर इजरायल के अपने स्वप्न को साकार करने का फैसला किया है। पश्चिम एशिया की राजनीति पर नजर रखने वालों के लिए इजरायल का यह फैसला अप्रत्याशित नहीं है। उनका मानना है कि इजरायल ग्रेटर इजरायल के रास्ते में आने वाली रुकावट को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देश मुसलमानों के खिलाफ हैं। तरस तो उन तथाकथित मुस्लिम देशों पर आता है, जो खुद को 'काबा का रक्षक' और 'इस्लाम का ध्वजवाहक' समझते हैं। हालांकि, असल में वे ईसाइयों से भी ज्यादा इस्लाम व मुस्लिम विरोधी हैं।

समाचारपत्र ने कहा है कि नेतन्याहू के इस बयान के आने से पहले ही हमास ने यह साफ कर दिया था कि इजरायल गाजा और लेबनान को हड़पने की योजना बना चुका है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन, तुर्की, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने इजरायल के इस फैसले की निंदा की है, लेकिन इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी), सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश अमेरिका के हाथ में खुलकर खेल रहे हैं। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र भी पश्चिमी देशों की कठपुतली बनकर रह गया है। उसने आज तक किसी कमजोर देश के पक्ष में न्याय पर आधारित फैसला नहीं दिया है, क्योंकि वह पांच 'वीटो पावर' वाले बड़े देशों की रखैल बना हुआ है। अमेरिका की कठपुतली सिर्फ तेल उत्पादक मुस्लिम देश ही नहीं हैं, बल्कि तुर्की भी उनमें शामिल है। तुर्की दशकों से मुस्लिम जगत के नेतृत्व को हड़पने का ख्वाब देख रहा है। अजीब बात है कि तुर्की और मिस्र के साथ इजरायल के राजनयिक संबंध हैं। मिस्र सरकार ने इजरायल के साथ तेल और गैस खरीदने का सबसे बड़ा समझौता किया है। सवाल यह उठता है कि क्या मिस्र सरकार यह नहीं जानती कि 1948 से पहले ये तेल और गैस के भंडार फिलिस्तीनी मुसलमानों की संपत्ति थी, जिस पर इजरायल ने जबरन कब्जा कर रखा है? सच्चाई तो यह है कि हर मुस्लिम देश दोगला है। वे सिर्फ फिलिस्तीन के मुसलमानों से मौखिक हमदर्दी रखते हैं, लेकिन उनके तार इजरायल से जुड़े हुए हैं। हकीकत तो यह है कि यहूदी पश्चिम एशिया के सभी मुस्लिम देशों पर कब्जा करना चाहते हैं। इजरायल के प्रति इन मुस्लिम देशों के रुख को देखते हुए यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि ग्रेटर इजरायल की योजना को रोक पाना अब किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। ■

सीरिया में गृहयुद्ध की ज्वाला फिर भड़की

रोजनामा सहारा (16 अगस्त) के अनुसार सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल-असद के समर्थकों ने सरकारी सैनिकों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये हमले लताकिया और तरतूस के इलाकों में किए गए हैं। इन हमलों में सेना के कई वाहनों

हाथ है। सेना को राजधानी दमिश्क के उन क्षेत्रों में तैनात किया गया है, जिनमें शिया लड़ाके सक्रिय हैं। दमिश्क पुलिस के प्रमुख ओसामा मोहम्मद खैर ने बताया कि राजधानी में अनेक धमाके हुए हैं। हालांकि, सुरक्षा बल इन धमाकों से होने वाले नुकसान का पता लगा रहे हैं।

को नुकसान पहुंचा है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सीरिया के तटवर्ती क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सेना को निशाना बनाने वालों से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। सरकारी प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि इन हमलों के पीछे बशर अल-असद के समर्थकों का हाथ है। न्यूज एजेंसियों ने पुष्टि की है कि शियाओं और सुन्नियों के बीच युद्ध की ज्वाला फिर से भड़क उठी है। सरकारी सेना पर शियाओं के घरों को जलाने, लूटने और उनकी दरगाहों व इमामबाड़ों को ध्वस्त करने के आरोप लगाए गए हैं।

इंकलाब (18 अगस्त) के अनुसार सीरिया की राजधानी दमिश्क में कुछ स्थानों पर धमाके हुए हैं। पुलिस के अनुसार इन धमाकों के पीछे पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद के समर्थकों का

एक अन्य समाचार के अनुसार सीरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने आरोप लगाया है कि इजरायल की शह पर कुछ लोग देश में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ बाहरी शक्तियां सीरिया को कमजोर करना चाहती हैं और वे इस देश को धार्मिक आधार पर विभाजित करने की योजना बना रही हैं। उन्होंने कहा कि इन ताकतों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इंकलाब (12 अगस्त) के अनुसार सीरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के निर्देश पर एक 'न्याय आयोग' का गठन किया गया है। इसमें महिलाएं, अलावी संप्रदाय (शिया), कुर्द और ईसाई अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं। यह आयोग अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल-असद के शासनकाल में हुए उत्पीड़न की जांच करेगा और सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सिफारिश करेगा।

हिजबुल्लाह का नि:शस्त्रीकरण से इंकार

अवधनामा (8 अगस्त) के अनुसार लेबनान सरकार ने हिजबुल्लाह को यह निर्देश दिया था कि वह नि:शस्त्रीकरण के लिए तैयार हो जाए और अपने सभी हथियार सरकार के पास जमा करा दे। हिजबुल्लाह ने सरकार के इस निर्देश को ठुकरा दिया है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने घोषणा की है कि देश में सरकारी सैनिकों के अतिरिक्त किसी भी संगठन या व्यक्ति को हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह आदेश हिजबुल्लाह जैसे संगठनों पर भी लागू होता है। हमें आशा है कि वे सरकार के इस फैसले का सम्मान करेंगे। कहा जाता है कि अमेरिका लेबनान पर यह दबाव डाल रहा है कि वह हिजबुल्लाह को नि:शस्त्रीकरण के लिए तैयार करे।

हिजबुल्लाह के इस ताजा फैसले से लेबनान पर इजरायली हमलों में तेजी आने की संभावना

जताई जा रही है। हिजबुल्लाह के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने दुश्मन देश इजरायल के खिलाफ संघर्ष को रोकने के लिए निःशस्त्रीकरण का जो फैसला किया है वह बहुत बड़ा गुनाह है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि लेबनान सरकार ने यह फैसला विदेशी दबाव में किया है। यह लेबनान की संप्रभुता के खिलाफ है, इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि सरकार ने यह फैसला अमेरिकी दूत टॉम बैरक के निर्देश पर लिया है। इससे इजरायल की स्थिति मजबूत होगी और लेबनान शत्रुओं के रहमो करम पर होगा।

गौरतलब है कि 1975 से 1990 तक चले गृहयुद्ध के बाद लेबनान के विभिन्न संगठनों ने अपने हथियार सरकार के पास जमा कराए थे, लेकिन हिजबुल्लाह ने ऐसा नहीं किया। हाल ही में इजरायल के साथ हुए युद्ध में हिजबुल्लाह राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से कमजोर हुआ है, क्योंकि इजरायल ने उसके शीर्ष नेतृत्व का खात्मा कर दिया है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के हथियारों के अधिकतर भंडारों को नष्ट कर दिया है। हालांकि, ईरान अभी भी गुप्त रूप से हिजबुल्लाह को हथियार उपलब्ध करा रहा है। नवंबर 2024 में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच हुआ युद्धविराम अभी भी लागू है, लेकिन इजरायल अभी भी हिजबुल्लाह और अन्य सशस्त्र संगठनों पर छिटपुट हमला कर रहा है। इजरायल ने धमकी दी है कि जब तक हिजबुल्लाह निःशस्त्रीकरण के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता तब तक हमलों का यह सिलसिला जारी रहेगा। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम इजरायली आक्रामकता को खत्म करने, कैदियों की वापसी और युद्ध में तबाह हुए क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए कटिबद्ध हैं। जब तक इजरायल अपने हमले बंद नहीं करता तब तक हम अपनी रक्षा नीति पर न तो पुनर्विचार करेंगे और न ही अपने हथियार किसी के हवाले करेंगे।

एक अन्य समाचार के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि अमेरिका और इजरायल ने हिजबुल्लाह के निःशस्त्रीकरण की जो योजना बनाई है, वह सफल नहीं होगी। हम चाहते हैं कि हिजबुल्लाह निःशस्त्रीकरण के लिए तैयार न हो। अराघची ने कहा कि ईरान हिजबुल्लाह का हर तरह से समर्थन करता रहेगा। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के निःशस्त्रीकरण का प्रयास नया नहीं है। पहले भी इस तरह के प्रयास हो चुके हैं, लेकिन जब युद्ध जारी हो तो निःशस्त्रीकरण का सवाल ही नहीं पैदा होता।

उर्दू टाइम्स (13 अगस्त) के अनुसार लेबनान में फिर से युद्ध भड़कने का खतरा पैदा हो गया है। लेबनान सरकार ने हिजबुल्लाह को निर्देश दिया था कि वह अपने सभी हथियार सरकार के हवाले कर दे, लेकिन उसने इसे मानने से इंकार कर दिया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि इजरायल और अमेरिका के दबाव पर लेबनान सरकार उसे निःशस्त्रीकरण के लिए दबाव डाल रही है। हालांकि, लेबनान की सुरक्षा के लिए हिजबुल्लाह का हथियारबंद रहना बेहद जरूरी है। हिजबुल्लाह ने सऊदी अरब को भी अपना निशाना बनाते हुए कहा है कि अमेरिकी दबाव के कारण

सऊदी अरब परोक्ष रूप से लेबनान सरकार पर यह दबाव डाल रहा है कि वह हिजबुल्लाह को नि:शस्त्रीकरण के लिए तैयार करे।

समाचारपत्र ने कहा है कि लेबनान सरकार की मजबूरी यह है कि वह इजरायली हमलों में तबाह हुए लेबनान के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका और सऊदी अरब से आर्थिक सहायता प्राप्त करे। जबकि हिजबुल्लाह एक शिया मिलिशिया संगठन है और उसके ईरान से गहरे संबंध हैं। हिजबुल्लाह का शाब्दिक अर्थ है 'अल्लाह की सेना'। यह लेबनान का एक ताकतवर संगठन है, जिसे संसद और सरकार में भी प्रतिनिधित्व हासिल है। इस संगठन ने 1992 से लेबनान के चुनाव में भाग लेना शुरू किया था। ईरान ने बशर अल-असद के शासनकाल में सीरिया को अपने नियंत्रण में रखने के लिए हिजबुल्लाह का इस्तेमाल किया था। कहा जाता है कि सुन्नी देश हिजबुल्लाह की शक्ति को कम करना चाहते हैं। जबकि ईरान उसे मजबूत बनाए रखना चाहता है ताकि वह लेबनान में अपने प्रभाव को बरकरार रख सके।

कौमी तंजीम (7 अगस्त) के अनुसार हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम ने कहा है कि उनका संगठन नि:शस्त्रीकरण की योजना को कभी स्वीकार नहीं करेगा। हाल ही में हिजबुल्लाह की ओर से लेबनान की राजधानी बेरूत के कुछ इलाकों में प्रदर्शन किए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में हिजबुल्लाह के मृतक नेताओं के चित्र लिए हुए थे। लेबनान के न्याय मंत्री अदेल नासर ने कहा है कि नईम कासिम का बयान लेबनान सरकार के लिए कोई महत्व नहीं रखता है। लेबनान सरकार ने जो फैसला किया है उसे हिजबुल्लाह को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल के युद्ध में हिजबुल्लाह के चार हजार से अधिक लड़ाके मारे गए हैं। जबकि छह हजार घायल हुए हैं।

चट्टान (7 अगस्त) के अनुसार हिजबुल्लाह लेबनान की एक राजनीतिक पार्टी होने के साथ-साथ एक सैन्य समूह भी है, जिसे अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन समेत अनेक यूरोपीय देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। हिजबुल्लाह की शुरुआत लेबनान में हुए गृहयुद्ध के दौरान हुई थी। ईरान हिजबुल्लाह को फंडिंग करता रहा है। इसके अतिरिक्त ईरान उसे हथियार भी उपलब्ध कराता रहा है। हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम ने कहा है कि जब तक इजरायल की आक्रामक गतिविधियां जारी रहेंगी तब तक उनका संगठन नि:शस्त्रीकरण के लिए तैयार नहीं हो सकता।

रोजनामा सहारा (19 अगस्त) के अनुसार लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने कहा है कि ईरान को लेबनान के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान हमारा मित्र देश है, लेकिन हमारी शर्त यह है कि वह हमारे मामले में बिल्कुल हस्तक्षेप न करे। जहां तक हिजबुल्लाह के नि:शस्त्रीकरण का मामला है यह लेबनान का अंदरूनी मामला है। इसका ईरान से कोई संबंध नहीं है।

जर्मनी द्वारा इजरायल को हथियारों की सप्लाई बंद

इंकलाब (9 अगस्त) के अनुसार जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि जर्मनी इजरायल को हथियारों की सप्लाई बंद कर देगा। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में इजरायली मंत्रिमंडल ने गाजा पर इजरायली कब्जे को जो मंजूरी दी है उसे कार्यान्वित करने में जर्मनी के हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं। इस संभावित खतरे को देखते हुए हमने इजरायल को हथियारों की सप्लाई बंद करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि जर्मनी की गणना इजरायल को हथियारों की सप्लाई करने वाले बड़े देशों में होती है। दूसरी ओर, जर्मनी ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से मई 2025 तक इजरायल को 564 मिलियन डॉलर के हथियार सप्लाई किए हैं।

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका इजरायल को फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग (एफएमएफ) प्रोग्राम के तहत हर साल 3.3 बिलियन डॉलर का हथियार सप्लाई करता है। इसके अतिरिक्त मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत हर साल 500 मिलियन डॉलर के उपकरण इजरायल को सप्लाई किए जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इजरायल ने फिलिस्तीनी नगरों, स्कूलों, शरणार्थी शिविरों और अस्पतालों को निशाना बनाने के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में घोषणा की थी कि अमेरिका इजरायल की रक्षा के लिए कटिबद्ध है और वह इस संकट की घड़ी में इजरायल को सैन्य व आर्थिक सहायता जारी रखेगा।

ईरान द्वारा अमेरिका को धमकी

इंकलाब (19 अगस्त) के अनुसार ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य अमीर हयात मोघद्दाम ने कहा है कि ईरान समुद्र से अमेरिका को अपने मिसाइलों का निशाना बना सकता है। हमारे मिसाइलों की पहुंच वाशिंगटन और न्यूयॉर्क तक है। मोघद्दाम ने कहा कि पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) की वायुसेना पिछले 20 सालों से जलयानों के जरिए मिसाइल दागने की क्षमता विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान से 10 हजार किलोमीटर दूर है, लेकिन हम अपने जहाज दो हजार किलोमीटर के दायरे में लाकर वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और अन्य शहरों पर मिसाइलों से हमला कर सकते हैं। ईरान अपनी मिसाइल क्षमता का प्रदर्शन अमेरिकी अड्डों पर हमले के समय कर चुका है। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि सभी यूरोपीय देश हमारे मिसाइलों की पहुंच में हैं और हम जब चाहें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी व यूरोप को अपना निशाना बना सकते हैं। मोघद्दाम ने कहा कि जो देश हमें परमाणु वार्ता बहाल न करने पर हमले की धमकियां दे रहे हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि ईरान इन धमकियों का जवाब देने की

स्थिति में है। हम किसी भी विदेशी विशेषज्ञ को अपने परमाणु संयंत्रों के नजदीक पहुंचने की अनुमति नहीं देंगे और हम परमाणु विकास के निर्धारित कार्यक्रम के तहत अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहेंगे।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (18 अगस्त) के अनुसार ईरान और रूस ने सुरक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा आरिफ के कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रेजा ने हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, परिवहन और वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया था। ईरानी परमाणु कार्यक्रम की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम रूस द्वारा विकसित परमाणु तकनीक के उपयोग के बारे में भी कटिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पश्चिमी देश जानबूझकर हमारे परमाणु ऊर्जा के विकास में रुकावट पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रूस के साथ सहयोग कार्यक्रम को जारी रखेंगे।

उर्दू टाइम्स (10 अगस्त) के अनुसार ईरानी सुरक्षा एजेंसियों ने 20 इजरायली जासूसों को गिरफ्तार किया है। सरकारी मीडिया के अनुसार ईरान ने अपने तीन परमाणु वैज्ञानिकों को भी फांसी पर लटका दिया है। उन पर इजरायल के लिए जासूसी करने और जून महीने में ईरान पर हुए इजरायली हमले में मारे गए नौ ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की पहचान करने का भी आरोप था। ईरान सरकार ने घोषणा की है कि इजरायल और उसके मित्र देशों के जासूसों को बख्शा नहीं जाएगा और उनका पूरी तरह से उन्मूलन किया जाएगा। ईरान सरकार ने यह भी पुष्टि की है कि हाल ही में इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के राडवान फोर्स के खुफिया प्रमुख मोहम्मद हमजा शेहादेह की एक हवाई हमले में हत्या कर दी है। यह इजरायल और लेबनान के बीच हुए युद्धविराम समझौते का खुला उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में हिजबुल्लाह का नि:शस्त्रीकरण उसके वजूद के लिए घातक साबित हो सकता है।

औरंगाबाद टाइम्स (3 अगस्त) के अनुसार ईरान के दो हजार से अधिक मौलवियों ने एक फतवा जारी किया है। इस फतवे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की हत्या का समर्थन किया गया है। फतवे में कहा गया है कि ट्रम्प का खून बहाना धार्मिक रूप से उचित है, क्योंकि ईरान के प्रमुख सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के इशारे पर की गई थी। सुलेमानी के हत्यारों से बदला लेना हर मुसलमान का कर्तव्य है। अब उस खूनी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि अमेरिका ने 2020 में बगदाद में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी।

■

RNI No. DELHIN/2017/72722

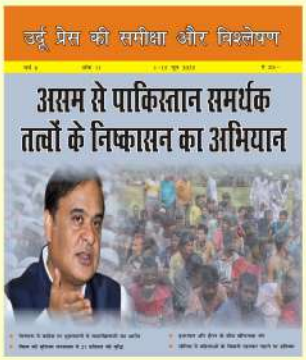

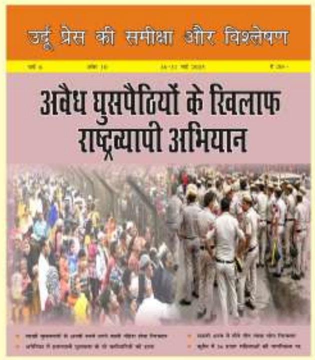

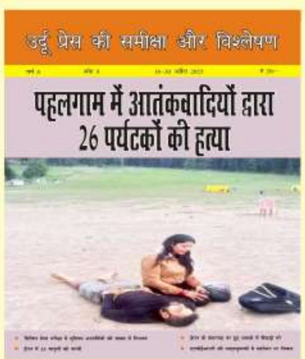

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in